

महोदय,

सविनय, निवेदन है कि प्रार्थिनी जनपद कासगंज में सिविल जज (सी0डिं0), के पद पर कार्यरत है। प्रार्थिनी का इस वर्ष वार्षिक स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में जनपद उन्नाव से जनपद कासगंज के लिए हुआ था। प्रार्थिनी की सात वर्ष की पुत्री है। प्रार्थिनी के पति श्री सुशील कुमार सोनकर, जो जनपद फैजाबाद में अधिशाषी अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, की हत्या विभागीय व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2016 में करा दी गयी थी। प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थिनी के पति की हत्या का मुकदमा अन्तर्गत धारा 302 एवं 120बी भा0दं0सं0 जनपद फैजाबाद में दर्ज कराया गया था, जो मु0अ0सं0-615/2016 है। प्रकरण जनपद न्यायालय फैजाबाद में लम्बित है। प्रार्थिनी को मुकदमें की पैरवी हेतु जनपद फैजाबाद आना-जाना पड़ता है तथा प्रार्थिनी उपरोक्त मुकदमें में साक्षी भी है। वार्षिक स्थानान्तरण में प्रार्थिनी का स्थानान्तरण जनपद कासगंज हुआ है। जनपद कासगंज व जनपद फैजाबाद के मध्य की दूरी लगभग 500 किमी0 है, जो अत्यधिक दूर है। प्रार्थिनी के साथ परिवार का अन्य कोई सदस्य नहीं रहता है। प्रार्थिनी अपनी पुत्री का पालन-पोषण अकेले ही कर रही है। जनपद फैजाबाद से जनपद कासगंज की दूरी अधिक होने के कारण प्रार्थिनी अपनी मुकदमें की पैरवी प्रभावी रूप से नहीं कर पा रही है। प्रार्थिनी को मुकदमें में पैरवी करने हेतु अकेले होने के कारण अपनी पुत्री को भी साथ ले जाना पड़ता है, जिससे आने-जाने में अत्यधिक कठिनाई व असुविधा होती है तथा उसकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिनी के बुजुर्ग माता-पिता जनपद कानपुर नगर में निवास करते हैं। प्रार्थिनी का भाई नहीं है, इसलिए माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी प्रार्थिनी की है, परन्तु जनपद कानपुर भी जनपद कासगंज से 300 किमी0 दूर होने के कारण प्रार्थिनी अपने माता-पिता की भी सही देखभाल नहीं कर पा रही है।

अतः माननीय महोदय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि प्रार्थिनी की उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी का स्थानान्तरण जनपद कासगंज से जनपद लखनऊ या जनपद बाराबंकी, जो कि जनपद फैजाबाद के निकट है, में करने हेतु प्रार्थिनी के स्थानान्तरण हेतु प्रत्यावेदन माननीय न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।